नाथूराम विरुद्ध शासन

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

जिला – विदिशा

प्रकरण कमांक निग0/1076–दो/15

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषको आदि के हस्ताक्षर
7–5–15	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया । आलोच्य आदेश दिनांक 12–5–14 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदक द्वारा अतिक्रमण न हटाने संबंधी तहसीलदार के प्रतिवेदन के आधार पर आवेदक के विरुद्ध वारंट जारी किए जाने के आदेश दिए हैं । इस आदेश के उपरांत अधीनस्थ न्यायालय में क्या कार्यवाही हुई है इस संबंध में आवेदक अधिवक्ता स्थिति स्पष्ट नहीं कर सके । आवेदक अधिवक्ता द्वारा अतिक्रमित भूमि से कब्जा हटा लिया गया है, यह भी उनके द्वारा नहीं बताया गया, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की जा रही कार्यवाही में हस्तक्षेप का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है । परिणामतः यह निगरानी अग्राह्य की जाती है । सदस्य	

न्यायालय – माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प भोपाल म.प्र.

प्रकरण क्रमांक – /15 निगरानी

नाथूराम पुत्र श्री घासीराम आयु 85 वर्ष जाति कुशवाह निवासी डिढोली मंदिर के पास वार्ड क्र0 18 गंज बासौदा जिला विदिशा म0प्र0

.............................निगरानीकर्ता

बनाम

मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला विदिशा

———————— प्रतिप्रार्थी

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता अधिनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) बासौदा जिला विदिशा के प्रकरण क्रमांक 1/अ–68 /2013–14 शासन बनाम नाथूराम में पारित आदेश दिनांक 11/4/2014 के विरूद्ध

माननीय महोदय,

निगरानीकर्ता की और से निगरानी माननीय न्यायालय में निम्न प्रकार प्रस्तुत है।

निगरानी के सारभूत एवं संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि :–

यह कि निगरानीकर्ता 85 वर्षीय सेवानिवृत्त शिक्षक होकर वार्ड क्र0 18 गंज बासौदा जिला विदिशा का निवासी है हल्का पटवारी ने अन्य व्यक्तियों द्वारा की गई झूठी व द्वेषपूर्ण शिकायत के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार बासौदा के इस आशय की रिपोर्ट एवं फर्जी पंचनामा प्रस्तुत किया कि निगरानीकर्ता ने कस्बा बासौदा के शासकीय आराजी क्र0 79 रकबा 0.878 है0 के अंश रकबा 22 वाय 50 वर्गफीट पर मकान बनाकर वेजा कब्जा किया है अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार ने ग्राम पटवारी द्वारा इस आशय की प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर निगरानीकर्ता के विरूद्ध प्रकरण क्र0 103/अ–68/2012–13 संस्थित कर निगरानीकर्ता के विरूद्ध धारा 248 म0प्र0भू0रा0.सं0 का नोटिस जारी किया जिसका निगरानीकर्ता ने तहसील न्यायालय में जबाब पेश कर निवेदन किया कि निगरानीकर्ता के निजी खाते का सर्वे क्र0 222 एवं अतिक्रमित बताये जा रहे सर्वे क्र0 79 की सीमायें लगी हुई हैं उक्त दोनों सर्वे क्रमाकों का कभी सीमांकन नहीं हुआ है इसलिये स्पष्ट रूप से यह आशय नहीं निकाला जा सकता कि निगरानीकर्ता ने शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया है यह भूमि नगरपालिका बासौदा के वार्ड क्र0 18 में